

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 95/2024 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन एक्ट)  
ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेज इण्डिया लि. प्लॉट नं. 94 मरोल को-ऑपरेटिव  
इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. विनोद कुमार सैनी  
पता-1-प्लॉट नं. बी-191, सुमेर नगर विस्तार, बी ब्लॉक, नीयर किड्स क्लब स्कूल, विलेज  
गोल्यावास, नई सांगानेर रोड, जयपुर ।  
मार्फत बिरला सन लाईफ इन्शुरेन्स कम्पनी लि. द्वितीय फ्लोर, गेम टावर 42-ए, बरवाडा हाउस  
जैकब रोड सिविल लाईन्स जयपुर ।  
मार्फत रिलायन्स निप्पान लाईफ इन्शुरेन्स कम्पनी लि. 6 फ्लोर, मान उपासना टावर, सुन्दर पटेल  
मार्ग सी-सैक्टर जयपुर ।
2. नानूराम सैनी
3. राजेश सैनी
4. श्रीमती गोमा देवी  
पता-प्लॉट नं. बी-191, सुमेर नगर विस्तार, बी ब्लॉक, नीयर किड्स क्लब स्कूल, विलेज  
गोल्यावास, नई सांगानेर रोड, जयपुर ।
5. श्रीमती सपना सैनी  
पता-1. प्लॉट नं. बी-191, सुमेर नगर विस्तार, बी ब्लॉक, नीयर किड्स क्लब स्कूल, विलेज  
गोल्यावास, नई सांगानेर रोड, जयपुर ।  
एवं बी-204, सुमेर नगर विस्तार-2, गोल्यावास जयपुर ।



अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002

उपस्थित:-

1. श्री यशवर्द्धन सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 23.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने को अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी नानूराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-191, सुमेर नगर विस्तार, बी ब्लॉक, नीयर किड्स क्लब स्कूल, विलेज गोल्यावास, नई सांगानेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 426.66 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 30.12.2017 को राशि 50,50,000/- व दिनांक 31.08.2021 राशि 9,60,000/- रूपये कुल राशि 60,10,000/- रूपये की

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



- ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 60,10,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 67,75,375.37/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जबाब दिया गया है जिसका प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
  4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी नानूराम सैनी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-191, सुमेर नगर विस्तार, बी ब्लॉक, नीयर किड्स क्लब स्कूल, विलेज गोल्यावास, नई सांगानेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 426.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
  6. आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



५५  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर